



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08042025-262339
CG-DL-E-08042025-262339

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1613]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 8, 2025/चैत्र 18, 1947

No. 1613]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 8, 2025/CHAITRA 18, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2025

का.आ.1644(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 54 डग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार अधिसूचित करती है कि उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (72) के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान) द्वारा पांच साल के बाद मोचन योग्य और दिनांक 01 अप्रैल, 2025 को या उसके बाद जारी किए गए बंधपत्र, 'दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति' के रूप में होंगे।

2. हुडको ऐसे बंधपत्र से प्राप्त राशि का उपयोग केवल उन बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए करेगा जो ऋण अदायगी के लिए राज्य सरकारों पर निर्भर हुए बिना परियोजना राजस्व से ऋण अदायगी कर सकती हैं।

स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ,

(क) 'अवसंरचना' में सभी अवसंरचना उप-क्षेत्र शामिल हैं, जैसा कि वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 262, जिसे फा.सं. 13/1/2017 - आईएनएफ दिनांक 11 अक्टूबर, 2022 (अवसंरचना उप-क्षेत्रों की अद्यतन सुसंगत मुख्य सूची), द्वारा परिभाषित किया गया है और इसमें उनमें किए गए कोई भी संशोधन या परिवर्धन शामिल होंगे;

(ख) 'अवसंरचना परियोजना' से तात्पर्य अवसंरचना क्षेत्र में कोई परियोजना से है।

[अधिसूचना सं. 31/2025/फा. सं. 225/06/2024/ITA-II]

कास्त्रो जयप्रकाश टी., अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 2025

S.O. 1644(E).—In exercise of the powers conferred by *clause (ba) of Explanation* to section 54EC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that bonds redeemable after five years and issued on or after 01st day of April, 2025, by the Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO) (a public financial institution notified by the Central Government under section 2(72) of the Companies Act, 2013), as ‘long-term specified asset’ for the purposes of the said section.

2. HUDCO shall utilise the proceeds from such bonds only for those infrastructure projects which can service the debt out of the project revenues without being dependent on the State Governments for the service of debts.

Explanation: *For the purpose of this notification,*

(a) ‘Infrastructure’ includes all infrastructure sub-sectors as defined vide notification no. 262 of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance issued by F.No.13/1/2017-INF dated October 11, 2022 (Updated Harmonised Master List of Infrastructure sub-sectors) and shall include any amendments or additions made thereof;

(b) ‘Infrastructure project’ means any project in Infrastructure sector.

[Notification No. 31/2025/F. No. 225/06/2024/ITA-II

CASTRO JAYAPRAKASH T., Under Secy.